

¹[नियम 111 : अपील अधिकरण को आवेदन

- (1) धारा 112 की उपधारा (3) के अधीन अपील अधिकरण को आवेदन प्ररूप जीएसटी एपीएल-07 में संबंधित दस्तावेजों के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल किया जाएगा और अपीलार्थी को तत्काल अनंतिम पावती जारी की जाएगी :

परंतु अपील प्राधिकरण को आवेदन, सुसंगत दस्तावेजों के साथ, प्ररूप जीएसटी एपीएल-07 में निर्देशिका रूप से तभी दाखिल की जा सकेगा, जब रजिस्ट्रार उक्त आदेश में निर्दिष्ट शर्तों और निर्बंधनों के अधीन, उस प्रभाव के लिए एक विशेष या साधारण आदेश जारी करके अनुज्ञात करें, और ऐसे मामले में, अपीलार्थी को तुरंत एक अनंतिम पावती जारी की जाएगी :

- (2) धारा 112 की उपधारा (5) के अधीन अपील अधिकरण में, प्रति-आपत्तियों का ज्ञापन, यदि कोई हो, प्ररूप जीएसटी एपीएल-06 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल किया जाएगा।

परंतु प्रति-आपत्ति का ज्ञापन प्ररूप जीएसटी एपीएल-06 में निर्देशिका रूप में तभी दाखिल किया जा सकेगा, जब रजिस्ट्रार उक्त आदेश में निर्दिष्ट शर्तों और निर्बंधनों के अधीन, उस आशय का विशेष या सामान्य आदेश जारी करके इसकी अनुमति दें।

- (3) अपील और प्रति आपत्तियों के ज्ञापन पर नियम 26 में विनिर्दिष्ट तरीके से हस्ताक्षर किए जाएंगे।

- (4) जहां वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, सामान्य पोर्टल पर अपलोड किया गया है, वहां त्रुटियों, यदि कोई हों, को दूर करने के संबंध में प्ररूप जीएसटी एपीएल-02 में अंतिम पावती, अपील संख्या दर्शाते हुए जारी की जाएगी और अनंतिम पावती जारी करने की तारीख को उप-नियम (1) के अधीन अपील दाखिल करने की तारीख माना जाएगा :
परंतु जहां वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, सामान्य पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है, वहां अपीलार्थी, यथास्थिति, प्ररूप जीएसटी एपीएल-07 दाखिल करने की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर उक्त आदेश की स्व-प्रमाणित प्रति प्रस्तुत या अपलोड करेगा तथा त्रुटियों, यदि कोई हों, को दूर किए जाने पर अपील संख्या दर्शाते हुए अंतिम पावती, प्ररूप जीएसटी एपीएल-02 में जारी की जाएगी तथा अनंतिम पावती जारी करने की तारीख को अपील दाखिल करने की तारीख माना जाएगा :

परंतु जहां आदेश, की उक्त स्व-प्रमाणित प्रति, प्ररूप जीएसटी एपीएल-07 दाखिल करने की तारीख से सात दिन की अवधि के पश्चात प्रस्तुत या अपलोड की जाती है, वहां त्रुटियों,

¹ अधिसूचना क्रमांक 12/2024-केन्द्रीय कर, दिनांक 10.07.2024 द्वारा नियम 111 प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 10.07.2024)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था:

“नियम 111 : अपील अधिकरण को आवेदन

- (1) धारा 112 की उपधारा (3) के अधीन प्ररूप जीएसटी एपीएल-07 में अपील अधिकरण को कॉमन पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपील की जाएगी।
- (2) प्ररूप जीएसटी एपीएल-07 में अपील की हार्डकापी तीन प्रतियों में रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जाएगी और उसके साथ उपनियम (1) के अधीन अपील फाइल करने के सात दिन के भीतर समर्थक दस्तावेजों के साथ विनिश्चय या अपील आदेश की सत्यापित प्रति और अंतिम अभिस्वीकृति संलग्न होगी और रजिस्ट्रार द्वारा अपील संख्या दी जाएगी।”

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

यदि कोई हों, को दूर करने पर अपील संख्या दर्शाते हुए अंतिम पावती, **प्ररूप जीएसटी एपीएल-02** में जारी की जाएगी और ऐसी स्व-प्रमाणित प्रति को प्रस्तुत या अपलोड करने की तारीख को अपील दाखिल करने की तारीख माना जाएगा :

स्पष्टीकरण 1.- इस नियम के प्रायोजनों के लिए, अपील तभी दाखिल मानी जाएगी जब अपील संख्या दर्शाते हुए अंतिम पावती जारी कर दी जाए।

स्पष्टीकरण 2.- नियम 110 और नियम 111 के प्रयोजनों के लिए, 'रजिस्ट्रार' से इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रार अभिप्रेत है और इसमें संयुक्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार, और सहायक रजिस्ट्रार सम्मिलित होंगे।"
